न्यायालय प्रथम अतिरिक्त सिविल जज(जू०डि०)/जे०एम० कसया, कुशीनगर

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र सं०–

सरकार बनाम धर्मावती देवी।

मु०सं०–4248/2025

मु०अप०सं०–69/2024

अंतर्गत धारा–115(2), 333, 352, 351(3) BNS

03.06.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र आवेदिका/अभियुक्ता **धर्मावती देवी** की ओर से मु०अ०सं०–69/2024 अन्तर्गत धारा–115(2), 333, 352, 351(3) BNS थाना–बरवापटटी, जिला–कुशीनगर के मामले में प्रस्तुत किया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता न्यायिक अभिरक्षा में समक्ष न्यायालय उपस्थित हैं।

आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वह निर्दोष है एवं कोई अपराध नहीं किया है। आवेदिका/अभियुक्ता जमानत देने को तैयार है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि उक्त प्रकरण में आरोप पत्र इस न्यायालय को प्राप्त है। दौरान विवेचना गिफ्तार नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण में विहित सजा सात वर्ष या उससे कम है। प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है। अतः मामलें के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुणदोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना, जमानत का आधार पर्याप्त है। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा 20,000/– रुपये की व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका/अभियुक्ता **धर्मावती देवी** की ओर से मु०अ०सं०–69/2024 अन्तर्गत धारा–115(2), 333, 352, 351(3) BNS थाना–बरवापटटी, जिला–कुशीनगर में अंकन बीस हजार रूपये की व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत प्रदान की जाती है।

प्रभारी प्रथम अपर सिविल जज(जू०डि०)/जे०एम०

कसया, कुशीनगर